

समय सीमा 02.12.2019

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक ~~687~~ / 1094 / 2019 / ब-1 / चार  
प्रति,

भोपाल दिनांक 23 / 11 / 2019

शासन के समस्त विभाग  
मध्य प्रदेश

विषय:- प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2019-2020 का विधान सभा में उपस्थापन ।

-0-

वित्तीय वर्ष में प्रथम अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन दिसम्बर माह में किया जाना संभावित है। विभागों की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता का आंकलन किये जाने के परिपेक्ष्य में प्रथम अनुपूरक के प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं ।

2/- वर्ष 2019-2020 का प्रथम अनुपूरक अनुमान में निम्न स्वरूप की मदें ही सम्मिलित की जावेगी :-

- (1) जिनके लिये राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया हो ।
- (2) जिनके लिये वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हो ।
- (3) जिनके लिये भारत सरकार/अन्य एजेन्सी से वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है तथा जो विद्यमान मदों से विमुक्त न की जा सकती हो तथा जिस हेतु अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग अन्य प्रचलित योजनाओं में उपलब्ध राशि में से कटौती कर बचत की राशि से करेंगे ।

3/- कोई भी ऐसे नवीन मदों के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किये जा सकेंगे जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो । वाहन कय के कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किये जावेंगे ।

4/- वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक अनुमान के प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आई.एफ.एम.आई.एस. से ऑनलाईन वित्त विभाग को दिनांक 02/12/2019 तक निश्चित रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें। अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका (हिन्दी में) संलग्न निर्धारित दो प्रपत्रों में आई.एफ.एम.आई.एस. में ऑनलाईन प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड किये जायें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि निर्धारित प्रपत्र के सभी स्थानों की आवश्यक पूर्ति कर दी गई है। योजनाओं के अंतर्गत व्यय हेतु सेगमेंट एवं विकास शीर्ष अवश्य ही लिखे जायें । कृपया लेखा शीर्ष का पूर्ण विवरण का सही परीक्षण कर लें।

5/- जिन मुद्दों के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होनी है, उनकी संक्षेपिका, केन्द्रीय सहायता की राशि, जो राज्य को ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, विशेष तौर से संलग्न की जाये। इसी प्रकार यदि कोई व्यय, जिसके लिये राशि मांगी जा रही है, उसे यदि स्वीकृत बजट की बचत से लेखों में समायोजित होना है, तो उसके संबंध में अनुदान संख्या एवं शीर्ष सहित कृपया पूर्ण विवरण दिया जाये ।

संलग्न :- प्रपत्र

( नीरज कुमार सिंह )


संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक 688 / 1094 / 2019 / ब-1 / चार  
प्रतिलिपि

भोपाल दिनांक 23 / 11 / 2019

आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल को आई.एफ.एम.आई.एस.साफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था करने हेतु ।



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

## मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2019-2020 में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावों का प्रारूप (कृपया दिये गये प्रारूप में कोड, नाम आवश्यक रूप से भरें) (तथा एक पत्रक पर एक ही योजना भरें) (यदि एक ही योजना (स्कीम) अलग-अलग लेखा शीर्ष पर हो तो, तो भी उनके लिये अलग-अलग पत्रक का उपयोग करें, अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पत्रक भरने संबंधित संलग्न नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।)

1. बजट शाखा तथा सहायक कोड: \_\_\_\_\_
2. विभाग (कोड तथा नाम) \_\_\_\_\_
3. बजट प्रस्तावक अधिकारी (कोड तथा नाम) \_\_\_\_\_
4. मांग संख्या \_\_\_\_\_
5. मुख्य शीर्ष \_\_\_\_\_
6. उप मुख्य शीर्ष \_\_\_\_\_
7. लघु शीर्ष \_\_\_\_\_
8. मतदेय/भारित \_\_\_\_\_
9. योजना (स्कीम) का नाम—(अधिकतम 20 शब्दों में) \_\_\_\_\_
- 9.1 योजना (स्कीम) का कोड \_\_\_\_\_
- 9.2 सेगमेंट (कोड तथा नाम) \_\_\_\_\_
- कोड अवश्यक भरें ) विकास शीर्ष (कोड तथा नाम) \_\_\_\_\_
- 10 योजना (स्कीम) का प्रकार— (जो लागू न हो उसे काट दें ) नवीन/निरंतर/नवीन तथा निरंतर
11. फण्ड के स्रोत:—

	प्रतिशत	राशि
राज्यांश		
केन्द्रांश		
अन्य		

प्रयोजन हेतु व्यय की मदें

उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19 का कुल प्रावधान (बजट अनुमान +अनुपूरक +पुनर्विनियोजन)	वित्तीय वर्ष 2018-19 का कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तक कुल प्रावधान (बजट अनुमान +पुनर्विनियोजन)	दिनांक.31.10.19 तक कुल व्यय	(राशि रूपयों में)	
							अतिरिक्त आवश्यक राशि	स्वीकृत ( वित्त विभाग के उपयोग हेतु)
		योग						

12. आकस्मिकता निधि से लिया गया अग्रिम \_\_\_\_\_
  13. बाह्य स्रोतों से प्राप्त सहायता/ऋण  
(स्रोत (केन्द्र/नाबार्ड/एल.आई.सी./विदेशी सहायता/अन्य) \_\_\_\_\_  
(कृपया नाम लिखें) \_\_\_\_\_
  14. यदि बचत द्वारा हो तो कृपया पूर्ण विवरण निम्नानुसार दें. \_\_\_\_\_
  - 14.1 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत की मांग संख्या \_\_\_\_\_
  - 14.2 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत का मुख्य शीर्ष \_\_\_\_\_
  - 14.3 सेगमेंट (कोड तथा नाम) \_\_\_\_\_
  - 14.4 मतदेय/भारित \_\_\_\_\_
  - 14.5 बचत की राशि \_\_\_\_\_
  - 14.6 बजट द्वारा उपलब्ध आवंटन \_\_\_\_\_
  15. सक्षम वित्तीय समिति से अनुमोदित है या नहीं (हाँ/नहीं) \_\_\_\_\_
  16. क्या योजना की निरंतरता प्राप्त है (हाँ/नहीं) \_\_\_\_\_
- (संक्षेपिका का विवरण अधिकतम 200 शब्दों में कम्प्यूटर पत्रक के साथ ही संलग्न करें )

बजट नियंत्रण अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासकीय विभाग)